

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग-6

क्रमांक: प. 6/6/राज-6/92 पार्ट / 1 जयपुर दिनांक 27.3.2004
समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान ।

परिपत्र

विषय:- होटल प्रयोजनार्थ भूमि स्वान्तरण
के संबंध में ।

महोदय,

जिला कलेक्टर जैसलमेर के द्वारा यह
मार्गदर्शन पाया गया है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1992 के
क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ स्वान्तरण नियम 1992 के
नियम 8 के उप नियम 1 के ख के अन्तर्गत कृषि भूमि को होटल
प्रयोजनार्थ स्वान्तरण के लिये विहित प्राधिकारी राज्य सरकार का
राजस्व विभाग है अथवा उक्त व्यवसाय उद्योग प्रयोजन में आने से
उप कण्ड अधिकारी है । अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये
निदेशानुसार लेख है कि होटल हेतु भूमि स्वान्तरण के लिये विहित
प्राधिकारी राज्य सरकार है ।


उप शासन सचिव